रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96 REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT OF INDIA

सं० 23] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 8, 1996/आषाढ़ 12, 1918
No. 23] NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 1996/ASADHA 12, 1918

भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 4 जुलाई, 1996

सं० बी एस ई/ई डी/9424.—भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) एक्ट, 1956 के अनुभाग 8 के अनुसरण से क्षमता न्यस्त होकर भारत के सेक्यूरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड (सेबि) इसके 20 अप्रैल, 1993 तारीख के पत्र संख्या एस.एम.डी/एस.इ.डी/6919/93 में स्टाक एक्सचैंजों, मैनेजमेंट काउंसिल और अपने विभिन्न कमेटियों के गठन/पुनर्गठन से संपर्कित नियमों/अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए एक निर्देशनामा जारी किया था। तदनुयायी, और प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) नियम, 1957 के नियम 8 (4)/(4ए) के अनुसरण में एक्सचंज निगमित निकायों का ग्रहण के बारे में और अपने मैनेजमेंट काउंसिल तथा विभिन्न कमेटियों के गठन/पुनर्गठन के बारे में अनेक अनुच्छेदों केसंशोधन किए हैं। स्टाक एक्सचेंज के अनुच्छेदों से निम्न प्रदत्त अनुच्छेदों का किया हुआ आशोधन को सेबि, उसकी पत्र सं. एस.एम डी-II/आर.वी.एन./22785/93 ता. 24 सितम्बर, 1993 के द्वारा और प्रतिभूतियाँ (विनियमों) एक्ट, 1956 के धारा 4(5), 3(2) और एक्सचेंज एसोसिएशन के अनुच्छेद का 151 अनुच्छेदों के अनुसरण में अनुमोदन किया है।

1. अनुच्छेद 1 (बी)

"सदस्य" का अर्थ—कोई भी व्यक्ति या निगमित निकाय पंजिका में एक्सचेंज के सदस्य के रूप में पंजीकृत किया गया ।

2. अनुच्छेद 1 (एफ)

"एक्ट" का अर्थ—कंपनियाँ एक्ट,1956 या प्रतिभूतियाँ संविदा (अधिनियम) एक्ट, 1956 या भारत के सिक्यूरिटिज और एक्सचेंज बोर्ड एक्ट, 1992, जो प्रसंगानुसार व्यवहार्य है और उसके हर कानूनी आशोधन तथा प्रतिस्थापन को भी अंतर्भुक्त करते हैं।

3. अनुच्छेद 1 (आई)

"वर्ष" का अर्थ—इंगलिश कलेंडर के 12 (बारह) महीनों का समय।

4. अनुच्छेद 1 (पी)

इस उपस्थापन में स्थित किसी भी पद या भाव प्रकाशन अगर अन्य प्रकार निर्णित नहीं हुआ है या किसी संदर्भ अन्य अर्थ आवश्यक या सूचित नहीं करता है तो, प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियमों) एक्ट,. 1956 और/या सेबि एक्ट, 1992 और/या उसके द्वारा किसी भी कानूनी नियमों/विनियमों प्रकाश करता हुआ अर्थ का समान ही होगा।

5. अनुच्छेद 1 (क्यु)

"सेबि" का अर्थ—भारत के सेक्युरिटिज और एक्सचेंज बोर्ड, जो भारत के सेक्युरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड एक्ट, 1992 के द्वारा स्थापन किया गया है।

6. अनुच्छेद 1 (आर)

इसमें स्थित विभिन्न अनुच्छेदों में परिलक्षित पद 'केन्द्रीय सरकार' का अर्थ "केन्द्रीय सरकार/सेबि" होगा।

7. अनुच्छेद 1 (एस)

एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनेक अनुच्छेद में स्थित पद समूह "प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) एक्ट, 1956 और उसके द्वारा कृत नियमों" का अर्थ आईन्दा "प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) एक्ट 1992/सेबि एक्ट" होगा।

8. अनुच्छेद 4

कंपनियाँ एक्ट, 1956 के द्वारा संज्ञाकृत निगमित निकायों को सदस्य बनने के योग्य विवेचित होंगे अगर उस निगमित निकाय, प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) नियमों, 1957 के नियम 8 के उपनियम '4' या '4ए' में दिए गये शर्तों को सिद्ध करते हैं।

यह भी शर्त है कि—केन्द्रीय सरकार के सिफारिश पर एक्सचेंज के काउंसिल इस खंड के आवश्यकताओं को शिथिल करके नीचे दिये गये निगमों/कंपनियों या संस्थानों को सदस्य के रूप में ग्रहण करेंगे।

(ए) भारतीय इंडस्ट्रियल फाइनान्स कारपोरेशन जो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन एक्ट, 1948 (1948 के 15) के अनुसरण में स्थापन किया गया है।

(बी) भारतीय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक एक्ट, 1964 (1964 के 18) के अनुसरण में स्थापन किया गया है।

(सी) भारतीय जीवन बीमा निगम जो जीवन बीमा निगम एक्ट, 1956 (1956 के 31) के अनुसरण में स्थापन किया गया है।

(डी) भारतीय साधारण बीमा निगम जो साधारण बीमा निगम (जातीयकरण) एक्ट, 1972 (1972 के 57) के अनुसरण में स्थापन किया गया है।

(ई) भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1963 (1963 के 53) के अनुसरण में स्थापन किया गया है।

(एफ) भारतीय इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इनवेस्टमेंट कारपोरेशन जो कंपनी, कंपनियाँ एक्ट, 1956 (1956 के 1) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

(जी) उपरोक्त 'ए' से 'एफ' तक दफाओं से किसी भी निगमों या कंपनियों के सहायक संस्थाएँ और भारतीय स्टेट बैंक या व्यवसायिक बैंक सेवा, प्रतिभूतियां क्रय विक्रय अन्य सदृश कार्यों को करने के लिये गठित किसी भी जातीयकरण बैंक सहायक संस्थाएँ।

9. अनुच्छेद 8

जिस दिन से ये सारे नियम लागू होंगे तब जितने सारे निगमित निकाय सदस्य के रूप में ग्रहण किए गये हैं उनके सिवा अन्य किसी भी निगमित निकाय, सदस्यता के लिए ग्रहण योग्य नहीं होंगे जब तक कि : मैनेजमेंट काउंसिल के द्वारा चुने नहीं गये है और ऐसे चुनाव नीचे दिए गये पैरा—10 (अनुच्छेद 9 ए) में दिए गये व्यवस्थाओं के साथ-साथ प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) एक्ट, 1956 और सेबि एक्ट, 1992 और उसके अनुसरण में बनाए गए नियमों को भी सामने रखेंगे।

10. अनुच्छेद 9 ए

एक निगमित निकाय नीचे दी गई शर्तों की पूर्ति करने पर एक्सचेंज के एक सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होंगे।

(i) उस कंपनी जो कंपनियाँ एक्ट, 1956 के धारा 12 के व्यवस्थाओं के अनुसरण में गठन किया गया है

(ii) ऐसी कंपनी जो सेबि एक्ट, 1992 (1992 के 15) की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में सेबि के द्वारा उस कंपनी को पंजीकृत करने के लिए निर्दिष्ट की गई आर्थिक आवश्यकताएँ और मानक को पूर्ति करने को सम्मत हैं।

(iii) ऐसी कंपनी जिसके अधिकांश निदेशक उस कंपनी के अंशदार हैं और जिस कंपनी के प्रदत्त साधारण पूंजी के कम से कम 40% उन निदेशकों के स्वताधिकार हैं या निगमित निकाय उन सब को अपने निदेशक मंडली के रूप में नियुक्त किया है।

(iv) इस कंपनी के निदेशकों, प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) नियमों, 1957 के खंड 1 (उसके अंतर्गत उपखंड-एफ के अतिरिक्त) या खंड 3 (उसके अंतर्गत उपखंड-एफ के अतिरिक्त) किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्य बनने के लिये अयोग्य नहीं हैं और उस कंपनी के निदेशकों किसी ऐसे निगमित निकायक निदेशक के रूप में कार्य नहीं किये हैं जो स्टाक एक्सचेंज सदस्य बनकर बाद में व्यतिक्रमी घोषित किया गया है या स्टाक एक्सचेंज द्वारा बहिष्कार किया गया है।

(v) कम से कम दो व्यक्ति कम्पनी में निदेशक होने चाहिएं और उनका कम से कम दो साल का प्रशिक्षण होना चाहिए।

1. प्रतिभूतियाँ कारोबार में, और
2. पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में; और
3. निवेश परामर्शदाता के पद में।

(vi) इस निगमित निकाय के निदेशक में व्यक्तिगत रूप में एक्सचेंज का सदस्य बनने के योग्य हैं ।

शर्त ये है कि : किसी निगमित निकाय जो एक्सचेंज एसोसिएशन के अनुच्छेद 4 के अनुसरण में एक्सचेंज के सदस्य के रूप में ग्रहण योग्य है, सेबि एक्ट, 1992 की धारा 12 के साथ दलाल के पंजीकरण के बारे में सेबि (स्टाक दलाल और उपदलाल) नियम, 1992 और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बारे में उसके विनियमों की व्यवस्थाओं का पालन करने के बाद ही एक्सचेंज की सदस्यता के विशेषाधिकार प्राप्त करने योग्य होगा और अंशधन तथा प्रतिभूतियाँ कारोबार चलाने के लिए अनुमति प्राप्त होगा।

11. अनुच्छेद 9 बी

काउंसिल अगर सही समझे तो नीचे दी गई शर्तों पर कंपनी एक्ट, 1956 की धारा 322 की व्यवस्थाओं को मान्यता देकर गठित एक निगमित निकाय को एक्सचेंज सदस्य के रूप में ग्रहण के लिए अनुमति प्रदान कर सकता है :

(i) ऐसे कंपनी के निर्देश के सदस्यों के अंशधन धारण के ढांचे को एक्सचेंज के काउंसिल को पूर्वानुमति लिए बिना बदला नहीं जाएगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति ऐसे कंपनी के निर्देशक के रूप में नियुक्त

होने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं होंगे, अगर इनकी नियुक्ति कंपनी एक्ट की व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं है या वह किसी कारणवश उस कंपनी के अंशदार बनने के लिए योग्य नहीं है या वह भारत में किसी स्वीकृति प्राप्त स्टाक एक्सचेंज के सदस्य, अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि/अधिकार प्राप्त सहायक/उपदलाल है।

(iii) कारोबार चालू करने के लिए अनुमति प्राप्त ऐसे कंपनी एक्सचेंज के चाहने के मुताबिक सूचनाएं उचित समय पर खुद व खुद दाखिल करने का इंतजाम करेगा और अंशधन तथा प्रतिभूतियाँ कारोबार चलाने वाला किसी दूसरी कारपोरेट कम्पनी का कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या परामर्शदाता नियुक्त नहीं करेगा ।

(iv) अगर काउंसिल सन्तुष्ट है कि उस निगमित निकाय के एसोसिएशन के स्मारक पत्र और अनुच्छेदों में आवेदनकारी से क्रमागत अनुपालनपत्र माँगने की व्यवस्था अनुच्छेदों और नियमों के मुताबिक है और सदस्य कंपनी को खुद व खुद या एक्सचेंज के अनुरोध पर किसी भी सूचनाएँ उसके अंशदारों से प्राप्त करने की व्यवस्था भी है।

(v) ऐसे निगमित निकाय को कारोबार चालू करने के लिए ग्रहण किए जाने/अनुमति देने के बाद किसी समय अगर यह पाया जाता है कि आवेदनकारी के किसी अधिकारी या किसी अंशीदार निगमित निकाय के सदस्य को सदस्य के रूप में ग्रहण के पूर्व आवेदनपत्र में या इसके बारे में जान बूझकर किसी खिलाफ या किसी विषय पर गलत व्यवस्थापन दिए हैं तो अनुच्छेदों की व्यवस्था के अनुसार काउंसिल के द्वारा नोटिस देकर उसे सदस्य पद से हटाया जाएगा। एसोसिएशन के अनुच्छेदों की व्यवस्थाओं के सही अनुपालन के बाद, काउंसिल उस निर्देशक-सदस्य का बहिष्कार करेगा और उसकी तथा संपृक्त निगमित निकाय की सदस्यता के विशेषाधिकार का प्रत्यहार करेगा—अगर उसे ऐसे प्रत्यय होता है कि : एक्सचेंज को व्यवसाय का विशेषाधिकार युक्त सदस्य के रूप में ग्रहण करने के लिए अनुमति माँगकर आवेदन करने के समय वह निगमित निकाय इसके लिए योग्य नहीं था और गलत व्यवस्थापन के द्वारा उसे सुरक्षित किया गया है (या) ग्रहण के/व्यवसाय का विशेषाधिकार मंजूरी के बाद किसी समय ऐसे निर्देशक/निगमित निकाय अमानत जमा कायम रखने में व्यर्थ हुआ है या इसी कारण एसोसिएशन के अनुच्छेदों की, एक्सचेंज के नियमों, उपविधि, विनियमों की व्यवस्थाओं को या प्रतिभूतियां संविदा (विनियम) एक्ट, 1956 और उसके अनुसरण में बनाये गए नियमों और सेबि एक्ट, 1992 और कम्पनियां एक्ट, 1956 और उसके अनुसरण में बनाये गये नियमों की व्यवस्थाओं का उल्लंघन करता है।

(vi) उस निगमित निकाय को मंजूर की हुई सदस्यता का विशेषाधिकार का प्रत्याहार ऐसे कंपनी के सदस्य-निर्देशक के बहिष्कार सदृश कार्यकारी होगा।

12. अनुच्छेद 10 ए

कंपनियाँ एक्ट, 1956 के धारा 12 और धारा 322 की व्यवस्थाओं के अनुसरण में गठित और एक्सचेंज के सदस्य के रूप में गृहित निगमित निकाय के लिए नीचे दी गई व्यवस्थाएँ लागू होंगी।

(i) ऐसे निगमित निकाय की एसोसिएशन के अनुच्छेदों में ऐसी व्यवस्थाएँ रहेंगी जो एक्सचेंज की काउंसिल समय-समय पर उसमें अंतर्भुक्त करना उचित समझेगी।

(ii) ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का निर्देशक नहीं होगा जो:

(ए) किसी स्वीकृतिप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के द्वारा किसी स्टाक एक्सचेंज कारोबार में व्यतिक्रमी घोषित किया गया है; या

(बी) कंपनियाँ एक्ट, 1956 की व्यवस्था के अनुसार किसी अपराध में संपृक्त या दोषी साव्यस्त हुआ है; या

(सी) कंपनियाँ एक्ट, 1956 धारा 12 की व्यवस्थाओं के अनुसरण में गठित एक ऐसी कंपनी के निर्देशक है जो भारत के अंतर्गत किसी स्वीकृतिप्राप्त स्टाक एक्सचेंज के सदस्य है और उस स्टाक एक्सचेंज के द्वारा व्यतिक्रम घोषित या बहिष्कृत किया गया है।

(iii) सब साधारण सभाओं की रिपोर्ट, विज्ञापन, लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाने वाली विवरणियाँ की नकल एक्सचेंज को अग्रेषण की जाएगी। एक्सचेंज अपने प्रयोजन मुताबिक किसी अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज दाखिल करने के लिए निर्देश दे सकता है।

(iv) कंपनियाँ एक्ट, 1956, सेबि एक्ट, 1992, उसके द्वारा बनाये गये नियमों और विनियमों और प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) नियमों 1957 के मुताबिक जरूरी खातों के समेत सदस्य निगमित निकाय के द्वारा व्यवहृत सारे खाताएं एक्सचेंज के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए दाखिल किये जाएंगे और अगर किसी समय एक्सचेंज को ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे खाताएं सही रूप से व्यवहृत नहीं होता तो काउंसिल उस पर उचित और आवश्यक कार्यानुष्ठान कर सकता है।

(v) ऐसे निगमित निकाय के स्मारकपत्र के उद्देश्य खंड के मुख्य उद्देश्य मुख्यत: स्टाक दलाली और इसके संपर्कित विषयों यथा:

बीमाकर्त्ता के रूप में कार्य करना, मुद्दों की दलाली, प्रतिभूतियों के व्यापारी, शेयरों और प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, वाणिज्यिक बैंक सेवा, बाजार तैयार करना, मुद्दों का रजिस्ट्रार, शेयर बदल एजेंट, निवेश व्यापार, नियत जमा दलाली, पोर्टफोलियो मैनेजमेण्ट, निवेश सलाह, वित्तीय सलाहकार, वित्तीय और डिसकाउंट दलाली, मुद्दों का उपदेष्टा/सलाहकार आदि के ऊपर आधारित होना चाहिए।

अगर वे ऊपर दिए गए विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में लिप्त पाये गये तो, काउंसिल उस निगमित निकाय के संपृक्त सदस्य-निर्देशकों की सदस्यता को खारिज कर सकता है।

(vi) निगमित निकाय के मैनेजमेंट में किसी परिवर्तन या ऐसे निगमित निकाय के बदल/किसी दूसरे निगमित निकाय के साथ समामेलन/मिश्रण के पूर्व काउंसिल का अनुमोदन लेना निहायत जरूरी है।

(vii) सदस्य निगमित निकाय के निर्देशक(कों)/अधिकारप्राप्त सहायक(कों)/प्रतिनिधि(यों) में अदल बदल के समय एक्सचेंज को पूर्व सूचना देनी पड़ेगी और एक्सचेंज का, जो कि, ऐसे नये व्यक्तियों के नमूना स्वाक्षर और अन्य व्यक्तिगत पुंखानुपुंख विवरण खाते में रखेगा, अनुमोदन के बाद ही ऐसा परिवर्तन किया जाएगा।

(viii) किसी मनोनीत प्रतिनिधि के द्वारा अपने कारोबार चलाने के लिए अनुमति पाने के वास्ते एक सदस्य निगम के दरखास्त को एक्सचेंज के काउंसिल अपने विवेकानुसार अनुमोदन या खारिज कर सकता है अगर उसके मतानुसार इसी प्रतिनिधि एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अनभिज्ञ, अनावश्यक या व्यक्तिगत रूप से अयोग्य है।

13. अनुच्छेद 11

इसी अनुच्छेदों के अनुसरण में सदस्य के लिए ग्रहणयोग्य किसी व्यक्ति सदस्य के रूप में नहीं किए जाएंगे, अगर :

(क) वे कम से कम दो साल के लिए किसी सदस्य के साथ अंशीदार या अधिकार प्राप्त सहायक या अधिकार प्राप्त लिपिक या रेमिसर या अप्रेंटिस के रूप में काम नहीं किया है; या

(ख) वे कम से कम दो साल के लिए एक अन्य सदस्य के अंशीदार या प्रतिनिधि सदस्य के रूप में काम करने के लिए और एक्सचेंज के मैदान को अपने नाम में नहीं बल्कि उस अन्य सदस्य के नाम में व्यापार को उतरने के लिए राजी नहीं होता है; या

(ग) वे किसी सदस्य के (जोकि उनके पिता या चाचा या भाई या मैनेजमेंट काउंसिल के मत से घनिष्ठ रिस्तेदार है) प्रतिष्टित व्यापार के उत्तराधिकारी नहीं है :—

ये व्यवस्था है कि : मैनेजमेंट काउंसिल पूर्वोक्त दफाओं में से किसी भी शर्त को छोड़ सकता है अगर काउंसिल का हिसाब से प्रवेश चाहता हुआ ऐसा व्यक्ति प्रकारंत में संबल, स्थिति, सच्चाई, ज्ञान, प्रतिभूतियों के व्यापार में अभिज्ञता आदि दृष्टि से सदस्यता के लिए योग्य है।

आगे ये भी व्यवस्था है कि : इस अनुच्छेद के (क) से (ग) तक उपखंडो में दी गई शर्तें निगमित निकाय के लिए लागू नहीं होंगी।

14. अनुच्छेद 71

काउंसिल इस उपस्थापन में स्थित व्यवस्थाओं के अनुसार एक व्यतिक्रमी को पुनर्गृहण कर सकता है और ऐसी किसी दूसरी शर्त रख सकता है जो उस व्यक्तिक्रमी को पुनर्गृहण समय उचित समझा जाय।

15. अनुच्छेद 82 (डी)

हर तीन साल में मैनेजमेंट काउंसिल प्रचलित अमानत जमा, ग्रहण शुल्क और वार्षिक चंदा आदि की समीक्षा करेगा।

16. अनुच्छेद 110 (इ)

निगमित निकाय/लोक वित्तीय संस्थान/एसोसिएशन के अनुच्छेदों के 4 अनुच्छेद में बताए गये निकाय जो प्रतिभूतियाँ संविदा (विनियम) नियमों, 1957 के नियम 8 के उपनियम (4) और (4क) के अनुसार सदस्यता के योग्य है; वे अपने वोट, कंपनियां एक्ट, 1956 के 187 उपभाग के व्यवस्था के अनुसार एक अधिकार प्राप्त मनोनीत प्रतिनिधि के द्वारा देंगे। स्थिति के अनुसार उस निगमित निकाय/लोक वित्तीय संस्थान अपने बोर्ड के संकल्प को एक नकल एक्सचेंज को उसके साधारण अधिवेशन के पूर्व दाखिल करेंगे जिसमें उस मनोनीत व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में वोट देने का अधिकार दिया गया है।

17. अनुच्छेद 111

स्टाक एक्सचेंज के समग्र परिचालना भार मैनेजमेंट काउंसिल पर न्यस्त होगा और सेबि के द्वारा अन्य प्रकार :—

(क) स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों के द्वारा 6 (छ) सदस्य चुने जाएँगे ।

(ख) एक्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार या सेबि के द्वारा सर्वाधिक 3 (तीन) सदस्य मनोनीत किए जाएंगे।

(ग) सेबि के द्वारा 3 (तीन) सरकारी प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएंगे।

व्यवस्था है कि किसी भी समय सेबी, 3 (तीन) से ज्यादा सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है जैसे कि इस खंड के और उपरोक्त खंड (ख) के अंतर्गत मनोनीत किए गये कुल सदस्य के संख्या खंड (क) के अंतर्गत चुने गये सदस्य की संख्या से अधिक नहीं होगा।

(घ) अनुच्छेद 131 (क) के अनुसार नियुक्त एक निर्वाही निर्देशक (एक्जिक्युटिव डारेक्टर) एक्सचेंज के मैनेजमेंट काउंसिल का पद प्रयुक्त (एक्स अफिसिओ) सदस्य के रूप में काम करेंगे।

18. अनुच्छेद 112

(क) 111 (ख) अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किए गये व्यक्ति मैनेजमेंट काउंसिल के समान पद मर्यादा और शक्ति उपभोग करेंगे और बारी-बारी से या अन्य प्रकार सेवा से निवृत नहीं होंगे और स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार या सेबि के चाहने तक कार्यरत रहेंगे। केन्द्रीय

सरकार या सेबि किसी भी समय ऐसा मनोनीत व्यक्ति(यों) का नियुक्ति बातिल करके उसके स्थान में अन्य व्यक्ति(यों) को नियुक्ति दे सकते हैं।

(ख) काउंसिल के लिये सरकारी प्रतिनिधि मनोनीत करने के लिये मैनेजमेंट काउंसिल उन व्यक्तियों के नाम सेबि को सिफारिश करेंगे। फिर भी मैनेजमेंट काउंसिल के द्वारा सिफारिश नहीं किए हुए व्यक्ति(यों) को मनोनीत करने की शक्ति सेबि की रहेगी।

(ग) अनुच्छेद 111 (ग) के अंतर्गत किए जाने वाले सरकारी प्रतिनिधि(यों) ऐसे ईमानदार व्यक्तियों में से होंगे जिनको प्रतिभूतियाँ बाजार के संबंधित क्षेत्र में आवश्यक वृतिगत दक्षता और अभिज्ञता होगा।

(घ) मैनेजमेंट काउंसिल को मनोनीत किए जाने वाले सरकारी प्रतिनिधि कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने का समय से एक साल की समाप्ति या परवर्ती वार्षिक साधारण अधिवेशन की समाप्ति जो पहले आएगी उस समय तक पद पर रहेंगे।

(ङ) इस्तीफा, बातिल, देहाँत या अन्य किसी कारण ऐसे मनोनीत सरकारी प्रतिनिधि के रिक्त स्थान को समान व्यवस्था के जरिए मनोनीत किए गये व्यक्ति के द्वारा पूर्ति किया जाएगा।

19. अनुच्छेद—115 (ए)

अनुच्छेद 115 (ए) के अंतर्गत प्रचलित व्यवस्थाओं को उठाकर उसके स्थान में नीचे दी गई व्यवस्थाओं को सुरक्षित किया गया है।

"115 (ए) हर वार्षिक साधारण अधिवेशन समय अनुच्छेद 111 (ए) के अनुसरण में नियुक्त मैनेजमेंट काउंसिल के सदस्यों का एक तिहाई सदस्य बारी बारी से सेवा निवृत होंगे। यादिच ऐसे सदस्य फिर से चुने जाने के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं।"

यह व्यवस्था है कि जब एक व्यक्ति लगातार दो बार सदस्य के रूप में चुने जा चुके हैं वे आगे दो लगातार वर्ष के लिए सदस्यता का उम्मीदवार नहीं हो पाएँगे।

20. अनुच्छेद 115 (बी) की व्यवस्था को बातिल करके उसके स्थान 115 (सी) व्यवस्था को सुरक्षित किया गया है।

"115 (बी) मैनेजमेंट काउंसिल के जो सदस्य हर वार्षिक साधारण अधिवेशन के समय सेवा निवृत होने वाले हैं वे उनके अंतिम नियुक्ति के समय के हिसाब से सर्वाधिक काल सेवारत व्यक्ति ही होंगे, लेकिन ऐसे एकाधिक व्यक्ति अगर ही दिवस से सदस्य बने हैं तो व्यतिक्रमी को या मैनेजमेंट काउंसिल के सदस्यों के बीच किसी राजीनामे के अनुसार लाटरी के द्वारा स्थिरीकृत किया जाएगा।

21. अनुच्छेद 116

उपर बताए गये व्यवस्था के अनुसार जो सदस्य वार्षिक साधारण अधिवेशन के समय सेवा निवृत्त होंगे, अनुच्छेद 115 (बी) व्यवस्था के अनुसार एक्सचेंज मैनेजमेंट काउंसिल के सेवा निवृत होने वाले या अल्प सदस्यों के द्वारा उस रिक्ति की पूर्ति करेंगे।

22. अनुच्छेद 117

किसी एक सदस्य जो अनुच्छेद 115 (बी) के अनुसार मैनेजमेंट काउंसिल के सेवानिवृत न होने वाले सदस्य हैं वह मैनेजमेंट काउंसिल के किसी साधारण अधिवेशन में काउंसिल के सदस्यों के कार्यालय में नियुक्ति के लिए योग्य होंगे, अगर वह खुद या उनके नाम प्रस्ताव करने के इच्छुक किसी अन्य सदस्य अधिवेशन के कम से कम चौदह दिन पहले अपने हस्ताक्षर में एक नोटिस मैनेजमेंट काउंसिल के अधिकृत कार्यालय में काउंसिल की सदस्यता के लिए अपना प्रार्थित्व को प्रकाश करते हुए या ऐसे सदस्यों जो उनका नाम प्रस्ताव करना चाहते हैं (स्थिति के अनुसार) प्रकाश करते हुए दाखिल करेंगे।

23. अनुच्छेद 120

(क) समय-समय पर काउंसिल के निम्नोक्त कार्यालय पदाधिकारी रहेंगे जैसे, अध्यक्ष (प्रेसिडेंट), उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) और कोषाध्यक्ष (ट्रेजरर)।

(ख) वार्षिक साधारण अधिवेशन समाप्ति के बाद 10 (दस) दिन के अंदर निर्वाचित सदस्यों से किसी व्यक्ति को काउंसिल के द्वारा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(ग) उपरोक्त प्रकार नियुक्त अध्यक्ष 1 (एक) साल के लिए पद पर रहेंगे और फिर सें चुने जाने के लिए योग्य होंगे;
व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य जो लगातार दो बार अध्यक्ष पद सम्हाले हैं पुनः निर्वाचित होने लायक नहीं होंगे यदि उनके अंतिम समय पद से रहने के बाद 1 (एक) सांल व्यतीत नहीं हुआ है।

(घ) वार्षिक साधारण अधिवेशन समाप्ति के बाद 10 (दस) दिन के अंदर निर्वाचित सदस्यों में से एक को काउंसिल के द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(ङ) उपरोक्त प्रकार नियुक्त उपाध्यक्ष 1 (एक) साल के लिए पद पर रहेंगे और पुनः निर्वाचित होने लायक होंगे। व्यवस्था है कि कोई भी सदस्य जो लगातार दो बार उपाध्यक्ष पद सम्हाले हैं पुनः निर्वाचित होने लायक नहीं रहेंगे यदि उनके अंतिम समय पद से हटने के बाद 1 (एक) साल व्यतीत नहीं हुआ है।

(च) अपनों में से किसी एक व्यक्ति को काउंसिल कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे।

(छ) ऐसे निर्वाचित/नियुक्त कार्यालय पदाधिकारी परवर्त्ती वार्षिक साधारण अधिवेशन के बाद उन के उत्तराधिकारी निर्वाचित/नियुक्त किए जाने तक अपने पद पर रहेंगे।

(ज) (i) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर देहांत, इस्तीफा या अन्य किसी कारण होने वाली सामयिक रिक्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार/सेबि को सूचना दी जाएगी। ऐसी स्थिति में काउंसिल

अपनो में से किसी एक को ऐसी रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनेगा।

(ii) कोषाध्यक्ष के स्थान ऐसी सामयिक रिक्ति पैदा होने पर काउंसिल अपने सदस्यों में से एक को इस पद पर चुनेगी।

(झ) उपरोक्त प्रकार सामयिक रिक्ति के लिए चुने गये व्यक्ति जिसके स्थान पर वह चुने गये हैं उस व्यक्ति पद से उपरोक्त कारण से ना हटने पर जिस समय पद पर रहना होगा उसके समान समय तक पद पर रहेंगे।

24. अनुच्छेद 122 (ए)

कोई भी सदस्य जिसने कम से कम 3 (तीन) साल के लिए सदस्य के रूप में काम नहीं किया है, मैनेजमेंट काउंसिल के सदस्य के रूप में चुने जाने योग्य नहीं होगा। यद्यपि यह शर्त प्रतिभूतियां संविदा (विनियम) नियम, 1956 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता मिलने के 3 साल तक लागू नहीं होगी।

आगे, यह शर्त उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी जो स्टॉक एक्सचेंज के व्यापार शुरू होने से पहले यानी 02 जनवरी, 1991 से पहले सदस्य बने हों।

25. अनुच्छेद 122 (जि)

यदि एक्सचेंज के किसी सदस्य एक निगमित निकाय है, उसके खंड (ए) से (एफ) व्यवस्था के अनुसार किसी व्यक्ति को काउंसिल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए प्राधिकार देने लायक नहीं होंगे अगर उस प्राधिकार प्राप्त व्यक्ति उस निगमित निकाय के तक सदस्य-निदेशक हैं जो प्रतिभूतियां संविदा (विनियम) नियम, 1957 के नियम 8(4ए) में दर्शाए गये अभिज्ञता हासिल नहीं किए हैं।

26. अनुच्छेद 123

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में गौण साधारण अधिवेशन के सभाध्यक्ष जिसमें मैनेजमेंट काउंसिल का सदस्य चुने जाते है अधिवेशन के 10 (दस) दिन के अंदर कार्यालय के पदाधिकारियों को चुनने के लिए मैनेजमेंट काउंसिल का एक अधिवेशन आवाहन करेंगे, और उसमें अध्यक्षता करेंगे, लेकिन अगर वह मैनेजमेंट काउंसिल के एक सदस्य नहीं हैं तो उस चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे।

27. अनुच्छेद 129 (डी)

129(डी) अध्यक्ष के साथ-साथ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में मैनेजमेंट काउंसिल किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के काम करने के लिए मनोनीत कर सकता है ।

28. अनुच्छेद 131

131(ए) मैनेजमेंट काउंसिल एक पूर्ण समय का निर्वाहि निर्देशक (एक्जीक्यूटीव डाइरेक्टर) नियुक्त/पुनर्नियुक्त कर सकते हैं जो मैनेजमेंट काउंसिल का एक पद प्रयुक्त सदस्य होंगे और मैनेजमेंट काउसिंल के द्वारा नियुक्त हर कमेटी या सब-कमेटी के एक सदस्य भी होंगे। सेबि के पूर्वानुमोदन से ही ऐसे नियुक्त/पुनर्नियुक्त शर्तों से स्थिरिकृत होंगी। ऐसे नियुक्त/पुनर्नियुक्त किए गये व्यक्ति जब तक पद पर अधिष्ठि हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप में किसी अन्य व्यापार में लिप्त नहीं होंगे और अगर एक सदस्य को ऐसी नियुक्ति मिली तो वह उनके सदस्यता से तुरंत इस्तीफा देंगे। ऐसे नियुक्त/पुनर्नियुक्त निर्वाही निदेशक सेवा निवृत नहीं होंगे।

131 (बीबी) एसोसिएशन के अनुच्छेदों विनियमों और उपविधियों के जरिए निर्वाही निर्देशक को प्रदत्त निर्वाहन शक्ति और मैनेजमेंट काउंसिल के द्वारा उनको सौंपे गये शक्तियां के अतिरिक्त निर्वाही निदेशक का ये भी कर्त्तव्य होगा कि सेबि एक्ट, 1992 के व्यवहार्थ व्यवस्थाओं को कार्यकारी करने के लिए सेबि के दवारा दिए गये निर्देशों, मार्गदर्शन और आदेशों का सही पालन करना। इस विषय में किसी भी व्यतिक्रम के लिये, सेबि से पुर्वानुमोदन पाकर या सेबि से इस बारे में निर्देश पाकर उनको पद से हटाया जा सकेगा। ये व्यवस्था है कि : पद से ऐसे हटाया जाने से पहले संपृक्त निर्वाही निर्देशकों इस संपर्क में कुछ बताने के लिए एक उचित मौका मिलेगा।

131(डी) निर्वाही निर्देशक की अनुपस्थिति या उनके कार्य करने की अक्षमता से उनके कार्य और शक्तियां सचिव के जरिए निभाया जाएगा और उनकी अनुपस्थिति से मैनेजमेंट काउंसिल के निर्देश से किसी वरिष्ठ उपलब्ध अधिकारी के जरिए निर्वाह किया जाएगा।

कृते भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड

विकेश सिंह, कार्यकारी निदेशक

BHUBANESWAR STOCK EXCHANGE ASSOCIATION LIMITED

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 4th July, 1996

No. BSE/ED/9424.—Pursuant to the powers vested in by the Ministry of Finance, Government of India under section 8 of the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide its letter No. SMD/SED/6919/93 dated 20th April, 1993 had issued a directive to the Stock Exchange to amend its Rules/Articles of Association relating to constitution/recognisation of the Council of Management and various Committees of the Stock Exchange.

Accordingly pursuant to the above directive of SEBI and Rule 8 (4)/4(A) of the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957, the Exchange made certain amendments to various Articles of the Association relating to admission of bodies corporate and constitution/reconstitution of the Council of Management and various Committees of the Stock Exchange. The amendments to the following Articles of the Articles of Association of the Stock Exchange were approved

by Securities and Exchange Board of India vide its letter No. SMD-II/RVN/22785/93 dated 24th September, 1993 in terms of section 4(5) of the Securities Contracts (Regulations) Act, 1956 read with section 3(2) of the aforesaid Act and Article 151 of the Articles of Association of the Exchange.

1. Article 1(b)

"1(b) 'Member' means any individual or body corporate registered in the register as a member of the Exchange."

2. Article 1(f)

"1(f) 'The Act' means the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, or Securities and Exchange Board of India Act, 1992 whichever is applicable under the context and includes every statutory modification or replacement thereof."

3. Article 1(i)

"1(i) "Year" means a period of 12 (Twelve) english calendar months."

4. Article 1(p)

"1(p) Unless otherwise defined in these presents or unless the context requires or indicates a different meaning any word or expression occurring in these presents shall bear the same meaning as in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and/or Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and/or any statutory rules/regulations framed thereunder."

5. Article 1(q)

"1(q) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India, established under Securities and Exchange Board of India Act, 1992."

6. Article 1(r)

"1(r) The word "Central Government" appearing in various provisions of the Articles hereinafter means "Central Government/SEBI"."

7. Article 1(s)

"1(s) The words "Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules made thereunder" appearing in various articles of the Articles of Association hereinafter shall mean "Securities Contracts (Regulation) Act, 1956/Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and Rules/Regulations made thereunder."

8. Article 4

"4. Corporate Bodies as defined in the Companies Act, 1956 shall be eligible to become a member provided that a corporate body fulfills the conditions of subrule 4 or 4A of Rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

Provided further that where the Central Government makes a recommendation in this regard, the Council of the exchange shall, in relaxation of the requirements of this clause, admit as member of the following corporations/companies or institutions, namely:—

(a) the Industrial Finance Corporation of India established under the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948)

(b) the Industrial Development Bank of India, established under the Industrial Development Bank Act, 1964 (18 of 1964)

(c) the Life Insurance Corporation of India, established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956)

(d) the General Insurance Corporation of India established under the General Insurance Corporation (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972)

(e) the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 (53 of 1963)

(f) the Industrial Credit & Investment Corporation of India, a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956)

(g) the subsidiaries of any of the Corporations or Companies specified in (a) to (f) and any subsidiary of the State Bank of India or any Nationalised Bank set up for providing merchant banking services, buying and selling securities and other similar activities."

9. Article 8

"8. No body corporate other than such members as are existing on the date when these rules will come into force shall be eligible for membership of the Exchange until elected for admission by the Council of Management and as regards such election the following provisions shall have effect subject, however, to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules/Regulations made thereunder."

10. Article 9A

"9 A. A body corporate shall be eligible to be elected as a member of the Exchange subject to the fulfillment of following conditions :

(i) such company is formed in compliance with the provisions of Section 12 of the Companies Act, 1956;

(ii) such company undertakes to comply with such

financial requirements and norms as may be specified by the Securities and Exchange Board of India for the registration of such company under Sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);

(iii) majority of the directors of such company are shareholders of the company and not less than 40% of the paid-up equity capital of the company is held by these directors themselves or by the body corporate appointing them as directors on the Board of such company;

(iv) the directors of the company are not disqualified for being members of a Stock Exchange under Clause I [except sub-clause (f) thereof] or clause 3 [except Sub-clause (f) thereof] of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 and the Directors of the company had not held office of the Directors in any corporate body which had been a member of the Stock Exchange and had been declared defaulter or expelled by the Stock Exchange;

(v) not less than two directors of the company are persons who possess a minimum two years' experience—

1. in dealing in securities ; or

2. as portfolio managers; or

3. as investment consultants.

(vi) that the directors of the body corporate shall otherwise be individually eligible to be elected as members of the exchange.

Provided that any corporate body who is eligible to be admitted to the membership of the Exchange in terms of Article 4 of the Articles of Association of the Exchange shall be eligible to be admitted to the privileges of membership of the Exchange and permitted to carry on the shares and securities business only after due compliance with the provisions of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 read with Rules relating to registration of brokers as laid down under Securities and Exchange Board of India (Stock-brokers and Sub-brokers) Rules, 1992 and Regulations thereof with regard to obtaining Registration Certificate."

11. Article 9B

"9B. The Council may and if deemed fit accord and allow permission for admission to the membership of the Exchange to a corporate body framed in compliance of provisions of Section 322 of the Companies Act, 1956 provided :

(i) The shareholding pattern of the Director-Members of such Company shall not be altered without previous consent of the Council of the Exchange.

(ii) No individual shall be permitted to be appointed as director of such Company if his/her appointment is not in accordance with the provisions of the Companies Act or he/she is not qualified to be shareholder of the Company for any reason whatsoever or he/she is a member, authorised representative/authorised assistant/Sub-broker of any recognised Stock Exchange in India.

(iii) A Company who is permitted to carry on the business shall itself arrange to supply such information as and when required by the Exchange and shall not employ any officer, employee or consultant of another corporate body, carrying on the shares and securities business, as a director in the Company.

(iv) The Council is satisfied that the Memorandum and Articles of Association of the corporate body contains provisions which require continued compliance by the applicant with the requirements of the Articles and Rules and contains provisions authorising member company on its own or at the request of the Exchange to obtain from its shareholders any information which the Exchange may require.

(v) In respect of such corporate body if at any time after admission/permission to carry on the business is granted, an officer or a shareholder of the applicant has made a wilful ommission or a misstatement upon a material point prior to admission in or in connection with the application for admission of that member(s) of the corporate body shall subject to the provisions of Articles on being given notice to that effect by the Council, cease to be a member. The Council shall, after due compliance with the provisions of the Articles of Association expel the director-member and withdraw the privileges of membership that the Exchange had granted to him and the corporate body if it is satisfied that at the time of making application to the Exchange seeking permission for admission to the privilege of membership for trading, the corporate body was not eligible for the same and it has been secured by wilful mis-representation (or) at any time after admission/granting the privileges of trading the member director/corporate body have ceased to maintain the Security Deposit or does not have the characteristics of eligibility under these reasons (or) the corporate body, has contravened or

committed any breach of provisions of the Articles of Association, Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and Rules framed thereunder and the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Companies Act, 1956 and Rules framed thereunder.

(vi) The withdrawal of the privileges of membership granted to the corporate body shall operate as expulsion of the member-director of such company."

12. Article 10A

"10A. The following provisions shall apply to the bodies corporate which are framed in compliance with the provisions of Section 12 and Section 322 of the Companies Act, 1956 and admitted as members of the Exchange.

(i) The Articles of Association of such bodies corporate shall contain such provisions as the Council of the Exchange may from time to time deem fit to be included.

(ii) No person who is

(a) declared defaulter in respect of any Stock Exchange transaction by any recognised Stock Exchange; or

(b) involved or convicted of an offence under the provisions of the Companies Act, 1956;

(c) a Director of any company formed in compliance with the provisions of Section 12 of the Companies Act, 1956 which is a member of any of the recognised Stock Exchange in India and which has been declared defaulter or expelled by the Stock Exchange;

shall be a Director of such company.

(iii) Copies of the reports, Notices of all General eetings, Auditor's Certificate, returns that are required to be filed with the Registrar of Companies shall be forwarded to the Exchange. The Exchange may direct such companies to furnish any such additional information or material documents that it may require.

(iv) The books of member-corporate bodies that are being maintained including statutory books that are require to be maintained under the Companies Act, 1956 and Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Rules and Regulations thereunder and as per the provisions of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 shall be made available for inspection by the Exchange authorities and if at any point of time the Exchange finds that the books are not being properly maintained it is open to the Council to take such action as it deem fit and necessary.

(v) The main object in the object Clause of the Memorandum of such corporate bodies should mainly be confined only to the Stock Broking and its allied matters, viz., acting as underwriter, broker to the issue, dealer in securities buying and selling of shares and securities, merchant banking, market makers, registrars to the issue, share transfer agents, investment business, portfolio management, investment counselling, fixed deposit brokers, financial consultants, financial and discount brokers, advisers to the issue and consultants to the issue. The Council shall have the power to cancel the membership of the member directors of the corporate body if they are found engaged in any other activities other than those referred to above.

(vi) Any change in the management of such body corporate or a transfer of such body corporate/amalgamation/merger with another body corporate having similar objects shall have the prior approval of the Council.

(vii) In the event of any change in the director(s)/ Authorised Assistant(s)/representative(s) of a corporate membership, such change shall be made with prior intimation to the Exchange and after obtaining written consent from the Exchange, which shall place on record the specimen signatures and other personal details of such new persons before giving its consent.

(viii) The Council of the Exchange in its discretion may approve or reject any application for permitted the business of a corporate member to be conducted by some named representative, if such representative in the opinion of the Counil is inexperienced is undesirable or would be individually disqualified to act as a member."

13. Article 11

"11. No person eligible for admission as a member under these Articles shall be admitted as a member unless:

(a) he has worked for not less than two years as partner with or as an authorised assistant or authorised clerk or remiser or apprentice to a member; or

(b) he agrees to work for minimum period of two years as partner or representative member with another member and to enter into bargains on the

floor of the Exchange not in his own name but in the name of such other member; or

(c) he succeeds to the established business of a deceased or retiring member who is father, uncle, brother or any other person who is in the opinion of the Council of Management a close relative:

PROVIDED THAT the Council of Management, however, may waive compliance with any of the forgoing conditions if the person seeking admission is in respect of means, position, integrity, knowledge and experience of business in securities, considered by it to be otherwise qualified for membership:

Provided further that the conditions stipulated under Sub-clauses (a) to (c) of this Article shall not be applicable to corporate bodies."

14. Article 71

"71. The Council may readmit a defaulter as a member subject to the provisions contained in these presents and impose such other conditions as it may deem fit at the time of readmission of a defaulter."

15. Article 82(d)

"82 (d). The Security Deposit, Admission fee and the Annual Subscription shall be the subject of review by the Council of Management every three years."

16. Article 110 (e)

"110(e). In the case of a corporate member including public financial institutions/body referred to Article 4 of the Articles of Association eligible to become member of the Exchange in accordance with sub-rules (4) and (4A) of Rule 8 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 and admitted to the membership of the Exchange, such member shall exercise its vote through a named authorised representative in accordance with the provisions of Section 187 of the Companies Act, 1956 by forwarding to the Exchange before the General Meeting a certified copy of the Board Resolution of the corporate body/public financial institution as the case may be, authorising the person named therein to vote as its representative."

17. Article 111

"111. The overall management of the affairs of the Stock Exchange shall be vested in the Council of Management and unless otherwise agreed to by SEBI, the Council of Management of the Stock Exchange shall comprise of 13 (Thirteen) persons and shall be constituted as follows:

(a) 6 (Six) members of the Stock Exchange to be elected by the members of the Stock Exchange.

(b) Not more than 3 (Three) persons to be nominated by the Central Government or SEBI in accordance with the Act.

(c) 3 (Three) Public Representatives to be nominated by SEBI:

Provided that SEBI may at any time appoint Public Representatives more than 3(Three) so that the total number of persons nominated under this clause and clause (b) above shall not exceed the total number of elected members under Clause (a) above.

(d) One Executive Director appointed in terms of Article 131(a) who is to act as an ex-officio member of the Council of Management of the Exchange."

18. Article 112

"112(a) The persons appointed under Article 111(b) shall enjoy the same status and powers as the Council of Management and shall not be subject to retirement by rotation or otherwise and shall continue to hold office at the pleasure of the Central Government or SEBI as the case may be. The Central Government or SEBI may at any time require its respective nominee(s) to relinquish their appointment and appoint another person(s) in his/their place.

(b) The Council of Management shall forward the names of person(s) to SEBI for nomination of Public Representative on the Council. SEBI, however, shall have the right to nominate person(s), whose names have not been forwarded by the Council of Management.

(c) The Public Representative(s) to be nominated under Article 111(c) shall be from amongst the person(s) of integrity having necessary professional competence and experience in the areas related to securities market.

(d) The public Representatives to be nominated on the Council of Management shall hold office for a period of 1(One) year from the date of assumption of the office or until the conclusion of next Annual General Meeting whichever is earlier.

(e) Any vacancy caused by resignation, removal, death or otherwise of such a nominated Public Representative, shall be filled in by a similarly nominated person."

19. Article 115(a)

The existing provisions in Article 115(a) has been replaced by the following provisions.

"115(a) At every Annual General Meeting, One-third of the members of the Council of Management

appointed under Article 111(a), shall be liable to retire by rotation and shall retire from office accordingly. Such members shall, however, be eligible to offer themselves for re-election:

Provided that when a person has been a member elected for two consecutive terms on the Counil of Management, he shall be not eligible to officer himself for re-election for a further period of 2 (Two) consecutive years."

20. The existing provision in Article 115(b) has been deleted and the provision in Article 115(c) has renumbered as Article 115(b).

"115(b) The members of the Council of Management to retire by rotation at every Annual General Meeting shall be those who have been longest in office since their last appointment but as between persons who become members of the Council of Management on the same day, those who are retired shall in defaulted and subject to any agreement between such members of the Council of Management be determined by lot."

21. Article 116

"116. At the annual general meeting at which the members of the Council of Management retire as aforesaid, the Exchange may subject to the provisions of Article 115(b) fill in the vacancy by appointing the retiring member of the council of Management or any other member thereto."

22. Article 117

"117 Subject to the provisions of Article 115(b) any member who is not a retiring member of the Council of Management shall be eligible for appointment to the office of member of the Council of Management at any general meeting, if he or some other members intending to propose him has not less than fourteen days before the meeting left at the registered office of the Exchange a notice in writing under his own hand signifying candidature for the office as a member of the Council of Management or the intention of such member to propose him as a candidate for that office as the case may be."

23. Article 120

"120(a) The Council shall from time to time have the following office bearers namely, the President, the Vice President and the Treasurer.

(b) The President shall be appointed by the Council of Management from amongst the elected members of the Council of Management within 10 (Ten) days after the conclusion of each Annual General Meeting.

(c) The President appointed as above shall hold office for 1(One) year and shall be eligible for re-election :

Provided that no member who has held the office of the President for two consecutive terms shall be eligilbe to offer himself for re-election unless a period of 1(One) year has elapsed since he last held such office.

(d) The Vice President shall be appointed by the Council of Management from amongst the elected members of the Council of Management within 10(Ten) days after the conclusion of the Annual General Meeting.

(e) The Vice President appointed as above shall hold his office for 1(one) year and shall be eligible for re-election:

Provided that no member who has held the office of the Vice President for two consecutive terms shall be eligible to offer himself for re-election unless a period of 1(One) year has elapsed since he last held such office.

(f) The Counell shall elect 1(One) among themselves as the Treasurer.

(g) The office bearers so elected/appointed shall hold office till their successors are elected/appointed after the next Annual General Meeting.

(h) (i) In the event of any casual vacancy arising in the office of the President or Vice President due to death, resignation or any other cause, such vacancy shall be notified to the Central Government/SEBI. In such case the Council shall elect 1(one) among themselves to fill in the casual vacancy.

(ii) In the event of any casual vacancy arising in the office of the Treasurer, the Council may elect one of its members to fill in the vacancy.

(i) The persons elected as above in any casual vacancy shall hold office for the same period for which the office bearer in whose place he was appointed, would have held office if it had not been vacated as aforesaid."

24. Article 122(a)

"122(a). No member shall be eligible to be elected as a member of the Council of Management unless he has been a member for not less than three years. This conditions shall not, however, be operative for a period of three years from date of grant of recognation to the Exchange under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

Further, this condition shall not be applicable to the persons who were admitted to the membership of Stock Exchange before the commencement of trading i.e. 2nd January, 1991."

25. Article 122(g)

"122(g). If any member of the Exchange is a body corporate it shall subject further to the provisions of clause (a) to (f) hereof not be eligible to authorise any person to be elected as member of the Council unless such authorised person is a member-director of the corporate body possessing the experience as mentioned in Rule 8 (4A) of the Securities Contracts (Regulations) Rules 1957."

26. Article 123

"123. The President or failing him the chairman of the ordinary general meeting at which the members of the Council of Management are elected shall within a period of ten days from the date of the meeting convene a meeting of the Council of Management for the election of office bearers and shall preside over the said meeting, but unless he is a member of the Council of Management shall not be entitled to vote at the said election."

27. Article 129(d)

The existing provision in the Article 129(d) has been replaced by the following provision.

"129(d) In the absence of the President as well as the Vice President the Council of Management may nominate any member of the Council to discharge the functions of the President."

28. Article 131

"131(a). The Council of Management shall with the prior approval of SEBI appointment/re-appointment a wholetime Executive Director who shall be an ex-officio member of the Council of Management and also a member of every Committee or Sub-committee appointed by the Council of Management. The terms and conditions of such appointment/re-appointment shall be subject to the previous approval of SEBI. The person so appointed/re-appointed shall not engaged himself in any business directly or indirectly during the period he holds office and if a member of the Exchange is so appointed, he shall resign from his membership thereof forthwith. The Executive Director so appointed/re-appointed shall not be liable for retirement.

131(bb). In addition to the executive powers vested with the Executive Director by Articles of Association, Regulations and Bye-laws of the Exchange and powers as may be delegated or entrusted to him by the Council of Management, it shall be duty of the Executive Director to give effect to the directives, guidelines and orders issued by SEBI in order to implement the applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules and Regulations thereof. Any failure in this regard will make him liable for removal or termination of service by the Stock Exchange with the prior approval of SEBI or on receipt of direction to that effect from SEBI subject to the concerned Executive Director being given a reasonable opportunity of being heard against such termination.

131(d). In the absence of the Executive Director or on his inability to act, his functions and powers shall be exercised by the Secretary and in his absence by any other senior available officer of the Exchange under the directions of the Council of Management."

For Bhubaneswar Stock Exchange Association Limited.

VIKESH SINGH, EXECUTIVE DIRECTOR

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi–110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi–110054 . 1996.